रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232209
SG-DL-E-28122021-232209

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 311
No. 383]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943	[N. C. T. D. No. 311

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन और वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

सं.फा. 1(54)/डीसीएफ(मुख्यालय)/स्था0/आरआर–वनपाल/2019/8637.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा वन और वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वनपाल , 'समूह 'ग' पद' (अराजपत्रित, अलिपिकीय) पदों हेतु भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को '' वन और वन्य जीव विभाग, वनपाल भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

   (ii) ये दिल्ली के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण , पे बैण्ड तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :– पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**– इन नियमों में किसी उल्लेख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>

1.	**पदनाम**	:	**वनपाल**
2.	**पदों की संख्या**	:	66 (2021)* *इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर – 3 (21,700 –69,100/–रुपये)
5.	**क्या चयन या गैर चयन**	:	गैर – चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगीं।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेषण द्वारा भर्ती होनो हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/समावेषण किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** 1. ग्रेड वेतन 2000/– रूपये (वेतन मैट्रिक्स में स्तर –3) सहित वेतन बैण्ड – 1 में , के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले वन रक्षक 2. वन रक्षक के रूप में प्रेरण प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है । **टीपः**– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, से कम न हो

			और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणः केन्द्रीय /राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी (ii) ग्रेड वेतन 2000/— रूपये (वेतन मैट्रिक्स में स्तर —3) सहित वेतन बैण्ड — 1 में , के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित , वन रक्षक के पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानदण्ड पूर्ण करने वाले । (ख) मान्यता प्राप्त बोर्ड /विश्वविद्यालय से 12वीं /सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण । **टीप —1** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप—2** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति सीमति 1. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) — अध्यक्ष 2. मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) — सदस्य 3. उप सचिव (सेवाएं) — सदस्य
13.	**वे परिस्थितिया जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्या० एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 21st December, 2021

No. F. 1(54)/DCF(HQ)/Estt./RR-Forester/2019/8637.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, read with the Notification No. 27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 of the Government of India, Ministry of Home Affairs, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the Recruitment Rules for the post of Forester, Group 'C' post (Non-Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Forests and Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short Title and commencement.—** (i) These Rules may be called The Department of Forests and Wildlife Forester, Recruitment Rules 2021.

   (ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.

2. **No. of Posts, Classification and Pay Level in the Matrix.—**The number of posts, its classification, pay band and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these Rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, and other Qualifications etc. .—**The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules.

4. **Disqualification .—** No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.—**Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

(1)	Name of the Post	Forester
(2)	No. of Posts	66*(2021) *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'
(4)	Level in the Pay Matrix	Level-3 (Rs.21700-69100)
(5)	Whether Selection or Non-Selection Post	Non-Selection
(6)	Age limit for direct recruitment	Not Applicable
(7)	Educational and other qualification for direct recruits	Not Applicable
(8)	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Not Applicable
(9)	Period of Probation	Not Applicable
(10)	Method of recruitment : By direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion failing which by deputation
(11)	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	**Promotion:** 1. Forest Guard in the pay band-1 with grade pay of Rs-2000/-(Level-3 in the Pay Matrix) and having five years of regular service in the grade. 2. Must have completed the induction training as Forest Guard. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be

		considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying eligibility of service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Transfer on deputation:** Officials of Central/ State Govt./UTs (a) (i)holding analogous posts on regular basis (ii)with five years regular service as Forest Guard in the pay band-1 with grade pay of Rs-2000/- (Level-3 in the Pay Matrix), meeting the physical standard prescribed for the post of Forest Guard, and (b)Passed 12th/Senior Secondary examination from a recognized Board/University. **Note-1:** The Departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. **Note-2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/ department of the Central Government shall not exceed 03 (three) years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 (fifty six) years, as on the closing date of receipt of applications.
(12)	If a DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC for considering promotion** 1. Pr. Secretary/ Secretary(Labour) – Chairperson 2. Chief Conservator of Forests(Admn) – Member 3. Dy. Secretary(Services) – Member
(13)	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.12.28 21:42:14 +05'30'